न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– 449/2015
दायर दिनांकः– 09/09/.2015
निर्णय दिनांकः– 27/07/2021

उनवान

1. छगनलाल पिता मोती कुमावत निवासी–सातलियावास, तहसील–डूंगला, जिला चित्तौडगढ।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पिता नारूजी गाडरी निवासी–भीमाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. नानालाल पिता नारूजी गाडरी निवासी– भीमाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. चैना पिता कालु गाडरी निवासी– भीमाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री बालेन्द्र कोठारी वादी वकील
2. श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी सं. 4

–:निर्णयः :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैः–

यह है कि मौजा नवलपुरा पटवार हल्का कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01,02 व 03 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता सं. 69 में दर्ज आ.न. 448 रकबा 7.85 हैक्ट.स्थित है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी जरिये बंटवाडा डिक्री अपना हिस्सा अलग से चाहता है। अतः वादी ने 1/8 हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.06.2017 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु [illegible]। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी [illegible] संलग्न रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज [illegible] के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.29 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला –चित्तौडगढ (राज.)

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा
1	छगनलाल पिता मोती कुमावत नि. सातलियावास तह. डूंगला (रहनः—BRKGB संगेसरा)	448/1	0.98 हैक्ट.
	योग		0.98 हैक्ट.
2	गंगा पत्नी छगनलाल कुमावत 71/1099 नर्बदा बाई पत्नी कैलाश चन्द्र कुमावत 100/1099 नानालाल पिता नारू गाडरी 314/1099 (रहनः—BRKGB ताणा) मंजू पत्नी पुष्कर लाल कुमावत 100/1099 शंकरलाल पिता नारू गाडरी 314/1099 (रहनः—BRKGB ताणा) सुन्दरबाई पत्नी मांगीलाल कुमावत 200/1099	448/2	6.87 हैक्ट.
	योग		6.87 हैक्ट.

इस आदेश की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.29 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

अंतिम डिक्री बमुकदद्मे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारीं भूपालसागर

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल. (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 449/2015
दायर दिनांकः– 09/09/.2015
निर्णय दिनांकः– 27/07/2021

उनवान

1. छगनलाल पिता मोती कुमावत निवासी–सातलियावासा, तहसील–डूंगला, जिला चित्तौडगढ।

वादी

बनाम

5. शंकरलाल पिता नारूजी गाडरी निवासी–भीमाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. नानालाल पिता नारूजी गाडरी निवासी– भीमाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
7. चैना पिता कालु गाडरी निवासी– भीमाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

बाबत् राजस्व वाद अर्न्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह आज मुकद्मा वास्ते इनकिलास किलई रूबरू वादी का वाद अर्न्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पूर्व में स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 449/2015 में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी। तत्पश्चात तहसीलदार भूपालसागर से बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त होनें पर अंतिम डिक्री पक्षकारानों के वकील को सुन कर जारी की जाती है। जिसमें बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार काश्तकारों के बंट (हिस्से) मे निम्न सारणी अनुसार भूमि हिस्से में रखी जाती हैः–

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा
1	छगनलाल पिता मोती कुमावत नि. सातलियावास तह. डूंगला (रहनः–BRKGB संगेसरा)	448/1	0.98 हैक्ट.
	योग		0.98 हैक्ट.
2	गंगा पत्नी छगनलाल कुमावत 71/1099 नर्बदा बाई पत्नी कैलाश चन्द्र कुमावत 100/1099 नानालाल पिता नारू गाडरी 314/1099 (रहनः–BRKGB ताणा) मंजू पत्नी पुष्कर लाल कुमावत 100/1099 शंकरलाल पिता नारू गाडरी 314/1099 (रहनः–BRKGB ताणा) सुन्दरबाई पत्नी मांगीलाल कुमावत 200/1099	448/2	6.87 हैक्ट.
	योग		6.87 हैक्ट.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.29 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ (राज.)

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.29 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested